

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी-श्री रवि वर्मा

प्रकरण संख्या 07/19

तारीख रजू 14/10/2019

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।

-सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री मनोज पुत्र श्री ताराचन्द जाति धोबी, निवासी चूली की बगीची, थाना गंगापुर सिटी, जिला गंगापुर सिटी

—गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग-पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय

दिनांक-12.08.2024

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री मनोज पुत्र श्री ताराचन्द जाति धोबी, निवासी चूली की बगीची, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना सदर, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क.स.	मु0 नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	177/16	09.08.16	13 RPGO	121	17.08.16	सजा दिनांक 23.08.19 100 रुपये जुर्माना
2	195/16	01.09.16	13 RPGO	137	20.09.16	सजा दिनांक 08.10.16 100 रुपये जुर्माना
3	27/17	12.01.17	13 RPGO	29	31.01.17	सजा दिनांक 07.03.17 100 रुपये जुर्माना

उक्त पंजीवद्ध आपराधिक प्रकरणों में वाद जॉच चार्जशीट कित्ता कर संबंधित न्यायालय में घालान पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा गैरसायल को राजस्थान सार्वजनिक द्युत अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 3 बार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है। गैरसायल कई वर्षों से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाव लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 3 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा



आतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।


अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना सदर गंगपुर सिटी जिला गंगपुर सिटी में 3 मुकदमें दर्ज है। जिसमें 3 मुकदमों में गैरसायल को 3 बार 100-100 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। गैरसायल कई वर्षों से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाब लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 3 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि उनवानी प्रकरण सन् 2019 से विचाराधीन है। गैरसायल तभी से अनवीक्षा भुगत रहा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को झूठा ही फसाया गया है। गैरसायल मजदूर पेशा व्यक्ति है। गैरसायल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी कभी भी आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं रहा है। और ना ही कभी भी जुआं एवं सट्टा आदि लगाने का कार्य किया है। साथ ही वकील गैर सायल ने गैर सायल के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना सदर, गंगपुर सिटी जिला गंगपुर सिटी में 3 मुकदमें दर्ज है। राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 3 बार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया हैं। जिसमें 3 मुकदमों में गैरसायल को 3 बार 100-100 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। राजस्थान लोक द्यूत क्रिडा अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध दो बार दोष सिद्ध होने के तदुपरान्त भी गैरसायल द्वारा द्यूत क्रिडा कृत्य कारित करने की पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है तथा इस अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर गैरसायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि:-

1. गैरसायल-राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित 3




N.

- अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा 3 बार 100-100 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। अतः गैर सायल गुण्डा की श्रेणी में आता है।
2. गैरसायल की गतिविधियां एवं प्रवृत्तियां अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है। जो नगरपालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
 3. गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले में राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित आपराधिक कृत्य करने में संलिप्त है।

लिहाजा

मैं रवि वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी गैरसायल श्री मनोज पुत्र श्री ताराचन्द जाति धोबी, निवासी चूली की बगीची, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित करता हूँ एवं उसे 15 दिवस की समयावधि के लिए गंगापुर जिले से निष्कासित करने का आदेश देता हूँ। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, गंगापुर सिटी को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की दिनांक से पन्द्रह दिवस पश्चात् गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए जिला मुख्यालय जयपुर रहने हेतु थानाधिकारी वैशाली नगर थाना को सुपुर्द करें। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे, गैरसायल वहां निवास की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला गंगापुर सिटी के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी